

प्रेषक

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

सेवा मे.

प्रबंधक

ओम इन्टरनेशनल स्कूल, नगीना रोड महेश्वरी जट ब्लाक-कोतवाली  
जनपद-बिजनौर।

पत्रांक-बेसिक / मान्यता / २०५४-७९

/ 2020-21

दिनांक १७/०७/२०२०

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय / महोदया,

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चातवर्ती पत्राचार / निरीक्षण के प्रतिनिर्देश से, मैं ओम इन्टरनेशनल स्कूल, नगीना रोड महेश्वरी जट ब्लाक-कोतवाली (बिजनौर) को दिनांक 1-4-2021 से दिनांक 31-3-2022 तक 01 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से कक्षा-1 से कक्षा-5 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन है:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 5 के पश्चात मान्यता / संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विवक्षित नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा-1 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमजौर बालों और सुविधा-विहीन रामूँह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4 ऐ-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियों प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी रक्कीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सबूत न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
  - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
  - (3) प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
  - (4) प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
  - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा;
  - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ को जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
  - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है; और
  - (8) अध्यापक रव्यय को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
- 7 विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यचर्या के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा। अंतिम निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-
  - (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-9000 वर्ग मीटर
  - (2) कुल निर्मित क्षेत्र-1164 वर्ग मीटर
  - (3) कीड़ा-रथल का क्षेत्रफल-105x60 वर्ग मीटर
  - (4) कक्षाओं की संख्या-05
  - (5) प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष-05
  - (6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है।
  - (7) पेयजल सुविधा-उपलब्ध है।
  - (8) मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई-योजना लागू नहीं है।
  - (9) बाधा रहित पहुँच-है।
  - (10) अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपरकरों/पुस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।

श्रीमा द्वी

MANAGER

Om International School  
Maheshwari Jat Distt. Bijnor

- 9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं चलाई जाएंगी।
- 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।
- 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860 (1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्ति किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।
- 12 स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यष्टियों के समूह या संगम या किन्हीं अन्य व्यवित्तयों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा रहा है।
- 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।
- 14 आपके विद्यालय की आवंटित मान्यता कोड संख्या.....01..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।
- 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / स्थानीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियोंको दूर करने के लिए जारी किए जाएं।
- 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।
- 17 विद्यालय में अंकों के अन्तर्राष्ट्रीय स्वरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।
- 18 विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।
- 19 विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर निर्गत अद्यतन शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूरण: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- 20 विद्यालय की स्थायी मान्यता हेतु 01 वर्ष के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं एवं संगत अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।
- 21 विद्यालय में प्रति छात्र 09 वर्ग फिट की दर से स्थान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में उतने ही छात्र/छात्राओं को प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।
- 22 विद्यालय प्रबन्धन्त्र का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक 02 वर्ष की अवधि के उपरान्त विद्यालय / शैक्षिक संस्था में रथापित अग्नि सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायों के पर्याप्त, अद्यावधिक एवं क्रियाशील होने और भवन के पठन-पाठन हेतु उपयुक्त एवं जर्जर न होने के सम्बन्ध में सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों से प्रमाण पत्र प्राप्त करके जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बिजनौर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्तानुसार प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तरांतर प्रस्तुत न किये जाने की स्थिति में विद्यालय / शैक्षणिक संस्था की मान्यता प्रत्याहरण के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 23 विद्यालय / संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय सारिणी के अनुसार यू-डायरस+ से संबंधित सूचनाये / आकंडे भरना अनिवार्य होगा।

भवदीय

(महेश धन्द)

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

पृ० सं० बेसिक /

/ 2020-21 तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1-अपर शिक्षा निदेशक(बेसिक), उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 2-सचिव, उ०प्र०, बेसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी/जिला पिछडा वर्ग कल्याण अधिकारी, जनपद-बिजनौर।
- 5-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर / विकास क्षेत्र, जनपद-बिजनौर।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

*Syuk*  
Principal  
Om International School  
Maheshwari Jat (Bijnor)

श्रीमा द्वीप  
MANAGER  
Om International School  
Maheshwari Jat Distt. Bijnor

कल्याणपुर  
Om International School  
Maheshwari Jat Distt. Bijnor

प्रेषक,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी  
बिजनौर।

रोता में

प्रबंधक

ओम इन्टरनेशनल स्कूल, नगीना रोड महेश्वरी जट ब्लाक-कोतवाली  
जनपद-बिजनौर।

पत्राक: बेसिक / मान्यता / 15/106-11 / 2020-21

दिनांक 22/10/2020

विषय:- निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 18 के प्रयोजन के लिए निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2010 के नियम 15 के उपनियम (4) के अधीन विद्यालय के लिए मान्यता प्रमाण-पत्र।

महोदय/गहोदय।

उपर्युक्त विषयक सूच्य है कि आपके आवेदन और इस संबंध में विद्यालय के साथ पश्चात्‌वर्ती पत्राचार/निरीक्षण के प्रतिभिर्देश से मैं ओम इन्टरनेशनल स्कूल, नगीना रोड महेश्वरी जट ब्लाक-कोतवाली (बिजनौर) को दिनांक 1-4-2021 से दि 31-3-2022 तक 01 वर्ष की अवधि के लिए अंग्रेजी माध्यम से कक्षा-6 से कक्षा-8 तक के लिए अनन्तिम मान्यता प्रदान करने की संसूचना देता हूँ।

उपरोक्त मंजूरी निम्नलिखित शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन हैं:-

- 1 मान्यता की मंजूरी विस्तारणीय नहीं है और उसमें किसी भी रूप में कक्षा 8 के पश्चात् मान्यता/संबंधन करने के लिए कोई बाध्यता विभिन्न नहीं है।
- 2 विद्यालय निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (उपांध 1) और निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियम 2010 (उपांध 2) के उपबंधों का पालन करेगा।
- 3 विद्यालय कक्षा-6 में बालकों की संख्या के 25 प्रतिशत तक आस-पड़ोस के कमज़ोर वर्गों और सुविधा-विहीन समूह के बालकों को प्रवेश प्रदान करेगा और उन्हें निःशुल्क और अनिवार्य उच्च प्राथमिक शिक्षा, उसके पूरा हो जाने तक उपलब्ध कराएगा।
- 4 पैरा-3 में निर्दिष्ट बालकों के लिए विद्यालय को अधिनियम की धारा 12 की उपधारा (2) के उपबंधों के अनुसार प्रतिपूरित किया जायेगा। ऐसी प्रतिपूर्तियाँ प्राप्त करने के लिए विद्यालय एक पृथक बैंक खाता रखेगा।
- 5 सोसाइटी/विद्यालय किसी कैपिटेशन शुल्क का संग्रहण नहीं करेगा और किसी बालक या उसके माता-पिता या संरक्षक को किसी स्फीनिंग प्रक्रिया के अध्यधीन नहीं करेगा।
- 6 विद्यालय किसी बालक को उसकी आयु का सघूता न होने के कारण प्रवेश देने से इंकार नहीं करेगा और वह अधिनियम की धारा 15 के उपबंधों का पालन करेगा। विद्यालय निम्नलिखित सुनिश्चित करेगा:-
  - (1) प्रवेश दिए गए किसी भी बालक को विद्यालय में उसकी उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक, किसी कक्षा में फेल नहीं किया जाएगा या उसे विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा।
  - (2) किसी भी बालक को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न के अध्यधीन नहीं किया जाएगा।
  - (3) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी होने तक किसी भी बालक से कोई बोर्ड परीक्षा उत्तीर्ण करने की अपेक्षा नहीं की जाएगी;
  - (4) उच्च प्राथमिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बालक को नियम 25 के अधीन अधिकथित किए गए अनुसार एक प्रमाण-पत्र प्रदान किया जाएगा;
  - (5) अधिनियम के उपबंध के अनुसार निःशक्तता ग्रस्त/विशेष आवश्यकताओं वाले विद्यार्थियों को प्रवेश दिया जायेगा,
  - (6) अध्यापकों की भर्ती अधिनियम की धारा 23(1) के अधीन यथा अधिकथित न्यूनतम अर्हताओं के साथ की जाती है, परन्तु यह और कि विद्यमान अध्यापक, जिनके पास इस अधिनियम के प्रारंभ पर न्यूनतम अर्हताएं नहीं हैं, पॉच वर्ष की अवधि के भीतर ऐसी न्यूनतम अर्हताएं अर्जित करेंगे;
  - (7) अध्यापक अधिनियम की धारा 24(1) के अधीन विनिर्दिष्ट अपने कर्तव्यों का पालन करता है और अध्यापक रखयां को किसी निजी अध्यापन कियाकलापों में नियोजित नहीं करेंगे।
  - (8) विद्यालय समुचित प्राधिकारी द्वारा अधिकथित पाठ्यवर्चयों के आधार पर पाठ्यक्रम का पालन करेगा।
- 8 विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में यथाविनिर्दिष्ट विद्यालय के मानकों और संनियमों को बनाए रखेगा।

अलिम्ब. निरीक्षण के समय रिपोर्ट की गई प्रसुविधाएं निम्नानुसार है :-

- (1) विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल-9000 वर्ग मीटर
- (2) कुल निर्मित क्षेत्र-1164 वर्ग मीटर(प्रथम तल)
- (3) कीड़ा-स्थल का क्षेत्रफल-3000 वर्ग मीटर
- (4) कक्षाओं की संख्या-04
- (5) प्राध्यापक-सह कार्यालय-सह भंडागार के लिए कक्ष-06
- (6) बालक और बालिकाओं के लिए पृथक शौचालय-उपलब्ध है।
- (7) पैदजल सुविधा-उपलब्ध है।
- (8) मिड-डे-मील पकाने के लिए रसोई-योजना लागू नहीं है।

बाधा रहित पहुँच-है।  
अध्यापन पठन सामग्री/कीड़ा खेलकूद उपस्कर्ता/पुरस्तकालय की उपलब्धता-उपलब्ध है।

श्रीमा द्वीपी

MANAGER

Om International School  
Maheshwari Jat Distt. Bijnor

(tonia) tel. 9191919191

9 विद्यालय के परिसरों के भीतर या उसके बाहर विद्यालय के नाम से कोई गैर मान्यता प्राप्त कक्षाएं नहीं बनाई जाएंगी।  
 10 विद्यालय भवनों या अन्य संरचनाओं या कीड़ा-स्थल का प्रयोग केवल शिक्षा और कौशल विकास के प्रयोजन के लिए किया जायेगा।  
 11 विद्यालय को सोसाइटी रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1860(1860 का 21) के अधीन रजिस्ट्रीकृत किसी सोसाइटी द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन गठित किसी लोक न्यास द्वारा चलाया जा रहा है।  
 12 स्कूल को किसी व्यष्टि, व्यक्तियों के समूह या संगम या किन्ही अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए नहीं चलाया जा सकता है।  
 13 विद्यालय के लेखाओं की किसी चार्टड एकाउंटेंट द्वारा संपरीक्षा की जानी चाहिए और उसके द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए तथा उचित लेखा विवरण नियमों के अनुसार तैयार किए जाने चाहिए। प्रत्येक लेखा विवरण की एक प्रति प्रत्येक वर्ष जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी को भेजी जानी चाहिए।  
 14 आपके विद्यालय को आवंटित मान्यता कोड संख्या.....01..... है। कृपया इसे नोट कर लें और इस कार्यालय के साथ किसी पत्राचार के लिए इस संख्याक का उल्लेख करें।  
 15 विद्यालय ऐसी रिपोर्ट और सूचना प्रस्तुत करता है जो समय-समय पर शिक्षा निदेशक / जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करता है, जो मान्यता संबंधी द्वारा अपेक्षित हो और समुचित सरकार / राजनीय प्राधिकारी के ऐसे अनुदेशों का पालन करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी शर्तों के सतत अनुपालन को सुनिश्चित करने या विद्यालय के कार्यकरण की कमियों को दूर करने के लिए जारी किए जाएं।  
 16 सोसाइटी के रजिस्ट्रेशन के नवीकरण, यदि कोई हो, को सुनिश्चित किया जाए।  
 17 विद्यालय में अंकों के अन्तराल्स्थीय रूपरूप का प्रयोग किया जायेगा। हिन्दी अनिवार्य विषय के रूप में पढ़ायी जायेगी।  
 18 विद्यालय में सभी वर्ग, धर्म, जाति के बच्चों को प्रवेश दिया जाना अनिवार्य होगा।  
 19 विद्यालय में दिव्यांग बच्चों की सुगम पहुँच हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा समय-2 पर निर्माता अवधि  
 20 शारानादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों का पूर्णत अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।  
 21 विद्यालय की रथायी मान्यता हेतु 01 वर्ष के पश्चात निर्धारित प्रारूप पर सूचनाओं एवं संगत अभिलेखों सहित आवेदन प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।  
 22 विद्यालय में प्रति छात्र 09 वर्ग फिट की दर से रथान उपलब्ध होना चाहिए। विद्यालय में उतने ही छात्र / छात्राओं की प्रवेश दिया जाय, जिनके बैठने की समुचित व्यवस्था निर्धारित मानक के अनुसार उपलब्ध हो।  
 23 विद्यालय प्रबन्धतंत्र का यह दायित्व होगा कि वह प्रत्येक 02 वर्ष की अवधि के उपरान्त विद्यालय / शैक्षणिक संस्था एवं स्थापित अग्रिं सुरक्षा संबंधी सुरक्षा उपायों के पर्याप्त अद्यावधिक एवं क्रियाशील होने और भवन के पठन-पाठन एवं उपयुक्त एवं जर्जर न होने के सम्बन्ध में सक्षम तकनीकी विशेषज्ञों से प्रमाण पत्र प्राप्त करके जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी, विजनौर को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित करेंगे। उक्तानुसार प्रमाण पत्र निर्धारित समयान्तरागत प्रस्तुत की जायेगी।  
 24 विद्यालय / संस्था द्वारा प्रतिवर्ष विभाग द्वारा निर्धारित समय सारिनी के अनुसार यू-डायस+ से संबंधित सूचनाये / आकंडे भरना अनिवार्य होगा।

भवदीय

22/10/2020  
(महेश चन्द्र)

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी  
विजनौर

/2020-21 तददिनांक।

पृष्ठां 01 बैसिक / प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आदेशक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

- 1-अपर शिक्षा निदेशक (बैसिक), उ०प्र०, शिक्षा निदेशालय, प्रयागराज।
- 2-सचिव, उ०प्र०, बैसिक शिक्षा परिषद, प्रयागराज।
- 3-मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बैसिक), द्वादश मण्डल, मुरादाबाद।
- 4-जिला समाज कल्याण अधिकारी / जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी / जिला पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी
- 5-जनपद-विजनौर।
- 6-संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर / विकास क्षेत्र, जनपद-विजनौर।

जिला बैसिक शिक्षा अधिकारी  
विजनौर।

श्रीमा द्वीप

MANAGER

Om International School

Maheshwari Jat Distt. Bijnor